इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 जनवरी 2015—पौष 18, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2015

क्र. 172-7-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 6 जनवरी 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४ सन् २०१५

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१४

[दिनांक ६ जनवरी, २०१५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ८ जनवरी, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१४ है.

धारा ७ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ७ में, उपधारा (२) में, परन्तुक में.—

(एक) शब्द ''एक वर्ष'' के स्थान पर, शब्द ''दो वर्ष'' स्थापित किए जाएं.

(दो) अंत में, शब्द ''और राज्य सरकार, विनियामक आयोग की सिफारिश पर वैधता की कालावधि को एक वर्ष से अनधिक के लिये बढ़ा सकेगी'' जोड़े जाएं.

अनुसूची का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की अनुसूची में, अनुक्रमांक १२ और उससे संबंधित प्रविष्टियों, के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु-क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
''१३.	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, भोपाल.	आर.के.डी.एफ. एजुकेशन सोसायटी, २०२ गंगा-जमुना, काम्पलेक्स, जोन-१, एम. पी. नगर, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, एन. एच. १२, होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१४.	एल एन सी टी विश्वविद्यालय, भोपाल.	एच. के. कल्चुरी एज्युकेशन ट्रस्ट, ३१-श्यामला हिल्स, भारत भवन रोड, भोपाल.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	एल एन सी टी विश्वविद्यालय, जे. के. टाऊन, सर्वधर्म सी-सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१५.	श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इन्दौर.	श्री वैष्णव विद्यापीठ ट्रस्ट श्री वैष्णव विद्या परिसर, १७७-जवाहर मार्ग, साऊथ राज मोहल्ला, इंदौर.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर, ग्राम बारोली, सांवेर रोड, इंदौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.''.

४. (१) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक २ सन् २०१४) तथा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ३ सन् २०१४) एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं. निरसन तथा व्यावृत्ति.

(२) उक्त अध्यादेशों के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्यवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2015

क्र. 173-7-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No.4 OF 2015

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) DWITIYA SANSHODHAN ADHINIYAM, 2014.

[Received the assent of the Governor on the 6th January, 2015; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 8th January, 2015.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-fifth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhiniyam, 2014. **Short title.**

2. In Section 7 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (2), in the proviso,— **Amendment of Section 7.**

(i) for the words "one year", the words "two years" shall be substituted;

(ii) at the end, the words "and the State Government may, on the recommendation of the Regulatory Commission, extend the period of validity not exceeding one year" shall be added.

Amendment of Schedule.

3. In the Schedule to the principal Act, after serial number 12 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S. No. (1)	Name of Private University (2)	Name of Sponsoring body (3)	Mode of forming Sponsoring body (4)	Main Campus (5)	Jurisdiction (6)
"13.	Sarvepalli Radhakrishnan University, Bhopal.	R.K.D.F. Education Society, 2002 Ganga-Jamuna Complex, Zone-1 M.P. Nagar, Bhopal.	Society registered under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Sarvepalli Radhakrishnan University, NH-12, Hoshangabad Road, Jatkhedi, Bhopal.	Whole of Madhya Pradesh.
14.	LNCT University, Bhopal.	H.K. Kalchuri Education Trust, 31-Shyamla Hills, Bharat Bhawan Road, Bhopal.	Public Trust Registered under the M.P. Public Trust Act, 1951 (No. 30 of 1951).	LNCT University, J.K. Town, Sarvadharam C-Sector, Kolar Road Bhopal.	Whole of Madhya Pradesh.
15.	Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya Indore.	Shri Vaishnav Vidyapeeth Trust, Shri Vaishnav Vidya Parisar, 177, Jawahar Marg, South Raj Mohalla, Indore.	Public Trust Registered under the M.P. Public Trust Act, 1951 (No. 30 of 1951).	Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Univeristy Campus-Gram Baroli, Sanvar Road, Indore.	Whole of Madhya Pradesh.".

Repeal and saving.

4. (1) The Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesh, 2014 (No. 2 of 2014) and the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhyadesh, 2014 (No. 3 of 2014) are hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinances, anything done or any action taken under the said Ordinances shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.